न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00466

1. रतन लाल जैन पुत्र स्व0 श्री रामनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी – हाल निवासी मकान नं0 17 जैन मंदिर के पास न्यू जवाहर नगर, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्रीमती कमला बाई पुत्री स्व0 श्री रामनारायण जी धर्मपत्नी श्री पदम कुमार जैन मारवाडा नैनवा वाले जाति महाजन निवासी राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल के पास सवाईमाधोपुर तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर ।
3. श्रीमती पदमा बाई पुत्री स्व0 श्री रामनारायण जी धर्मपत्नी श्री रामप्रसाद जी मित्तल जाति महाजन निवासी मकान नं0 24, 25 जवाहर नगर माताजी मंदिर के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री बजरंग लाल जाति मीणा ।
2. शोपाल पुत्र स्व0 श्री बजरंग लाल जाति मीणा ।
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गाडरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट के पिता मृतक रामनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 3560 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 3565 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 3566 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3579 रकबा 08 बिस्वा कुल 04 किता की रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी संवत् 2021 के निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बजरंगा आत्मज रामनाथ जाति मीणा के नाम अंकित है । स्वर्गीय बजरंगा ने उक्त भूमि संवत् 2010 में बजरंगलाल महाजन को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था । स्वर्गीय बजरंग लाल मीणा ने वादी एवं उसके पुत्र रतनलाल के विरूद्ध एक दावा संख्या 47/72 बाबत् बेदखली और कब्जा प्राप्त करने हेतु पेश किया था । उक्त वाद को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया । स्वर्गीय बजरंगलाल ने न्यायालय द्वारा तस्दीक फरमाये गये राजीनामा में अंकित किया था कि – मन वादी ने श्री बजरंग लाल महाजन निवासी देई को संवत् 2010 में बेचान करके कब्जा दिया था जिसने प्रतिवादी रमानारायण को संवत् 2021 में बेचान कर कब्जा संभला दिया था । मैं इस भूमि के कुल 2700/– रूपये प्राप्त कर चुका हूं और मेरा संवत् 2010 से इस भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्व तथा अधिकार और आधिपत्य नहीं है । अतः दावा खारिज फरमाकर प्रतिवादी को भूमि में खातेदार की मान्यता दी जावे । माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.06.1973 को तस्दीक फरमाते हुए उक्त राजीनामा के आधार पर दावा खारिज फरमा दिया । प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय बजरंग लाल के मन में एक बार फिर बदनियति आ गयी और उसने वादग्रस्त आराजी पर वादी के आधिपत्य, उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 04/86 में माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 28.06.1993 को इस आशय की डिक्री पारित की गई– कि प्रतिवादी बजरंगा को स्थयी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी से बलपूर्वक निष्कासित नहीं करे और वादी को इस भूमि पर प्राप्त स्वत्व एवं आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे । वाद संख्या 47/72 एवं 4/86 में पारित आदेश एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण कम 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे के वे वादी को प्राप्त अधिकार, स्वत्व के अनुसार भूमि के उपभोग एवं उपयोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । प्रतिवादी कम 1 से 3 के स्व0 पिता बजरंगलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादी का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.08.2017 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2017 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री रिनांक 30.11.2012 को ही बहाल रखने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2017 के निर्देशों की पालना किये बिना ही वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम खारिज करने के पश्चात् भी पक्षकारान की प्लडिंग्स के विपरीत तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश देने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्टगण ने एक दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसको सरसरी तौर पर दिनांक 30.11.2012 को खारिज कर दिया गया । उस निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय में अपील पेश की गई थी और इस न्यायालय के द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की अवहेलना करते हुए पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2012 को यथावत रखा है । पृथक से कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है जबकि पूर्व के निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.11.2012 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया था जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया । रिमाण्ड होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.07.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए पूर्व के निर्णय दिनांक 30.11.2012 को यथावत रखा है जबकि पूर्व का निर्णय इस न्यायालय के

द्वारा अपास्त किया जा चुका है और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात की साक्ष्य के आधार पर विवेचना कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है जबकि अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है और जो निर्णय इस न्यायालय के द्वारा अपास्त किया जा चुका है उसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कोई निर्णय पारित किये बिना रिमाण्ड निर्देशों की पालना किये यथावत नहीं रखा जा सकता । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.08.2017 में जो निर्देश प्रदान किये गये हैं उन निर्देशों की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात की विवेचना करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 23.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा